



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 7 जुलाई, 2026

आषाढ़ 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या 54/आयोग/सैंतालीस-का-4-2026-15/36-98

लखनऊ, 7 जुलाई, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०-43

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1937 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (तीसवां संशोधन)

विनियमावली, 2026

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (तीसवां संशोधन) विनियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1937 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 11 के खण्ड (6क) एवं (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

स्तम्भ-1

(विद्यमान खण्ड)

11 (6क) किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, किन्तु जिस पर खण्ड (6) लागू नहीं होता या जहां खण्ड (6) लागू होता है। वहां उसने इस खण्ड के अनुसार अपनी पेंशन के अवधारण के लिए विकल्प किया है, देय पेंशन निम्नलिखित होगी:-

स्तम्भ-2

(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)

11 (6क) किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति में, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, किन्तु जिस पर खण्ड (6) लागू नहीं होता या जहां खण्ड (6) लागू होता है वहां उसने इस खण्ड के अनुसार अपनी पेंशन के अवधारण के लिए विकल्प किया है, उसको देय पेंशन निम्नलिखित होगी:-

स्तम्भ-1**(विद्यमान खण्ड)**

(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण नियमों के अनुसार हकदार हो, और

(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, खण्ड (7) में उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशन :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन को मिलाकर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन 40,000.00 रुपये प्रतिमाह (4,80,000.00 रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होगी।

11 (7) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति में जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार की सेवा में न रहा हो या जिसे उस सेवा के, जिसका वह सदस्य रहा हो, नियमों के अधीन सेवा पेंशन स्वीकृत न की गयी हो या जो सेवा सम्बंधी नियमों के अधीन सेवा पेंशन की अर्हतायें न रखता रहा हो तो वह निम्नलिखित सेवा पेंशन का हकदार होगा:-

(क) अध्यक्ष की स्थिति में 1,44,000.00 रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य की स्थिति में 1,15,200.00 रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ग) यदि अध्यक्ष या सदस्य ने 3, 4 या 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो पूरी पेंशन का जो उसे, यथा स्थिति उपर्युक्त उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) के अनुसार देय हो, क्रमशः 3/6, 4/6 या 5/6;

(घ) ऐसे अध्यक्ष की स्थिति में जिसने सदस्य और अध्यक्ष दोनों रूप में कार्य किया हो, उसकी पेंशन की गणना करने में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सेवा की कुल अवधि पर विचार किया जायेगा।

स्तम्भ-2**(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**

(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण नियमों के अधीन हकदार हो, और

(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन, खण्ड (7) में उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशन :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन को मिलाकर उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन 1,12,500.00 रुपये प्रतिमाह (13,50,000.00 रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होगी।

11 (7) किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति में, जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की सेवा में न रहा हो या जिसे उस सेवा के, जिसका वह सदस्य रहा हो, नियमों के अधीन सेवा पेंशन स्वीकृत न की गयी हो या जो सेवा सम्बंधी नियमों के अधीन सेवा पेंशन की अर्हतायें न रखता रहा हो तो वह निम्नलिखित सेवा पेंशन का हकदार होगा:-

(क) अध्यक्ष की स्थिति में 3,70,080.00 रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य की स्थिति में:-

(एक) दिनांक 1 जनवरी, 2016 से दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 तक 2,96,064.00 रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(दो) दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 से 3,34,552.00 रुपये प्रति वर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ग) यदि अध्यक्ष या सदस्य ने 3, 4 या 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो पूरी पेंशन का, जो उसे यथा स्थिति उपर्युक्त उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) के अनुसार देय हो, क्रमशः 3/6, 4/6 या 5/6;

(घ) ऐसे अध्यक्ष की स्थिति में जिसने सदस्य और अध्यक्ष दोनों रूप में कार्य किया हो, उसकी पेंशन की गणना करने में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सेवा की कुल अवधि पर विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 54/Ayog/ XLVII-ka-4-2026-15-36-98, dated July 7, 2026:

No. 54/Ayog/ XLVII-ka-4-2026-15-36-98

Dated Lucknow, July 7, 2026

In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1937.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION (CONDITIONS OF SERVICE) (THIRTIETH AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

1.(1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) (Thirtieth Amendment) Regulation, 2026.	Short title and commencement
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from January 1, 2016.	
2. In the Uttar Pradesh Public Service Commission (Conditions of Service) Regulation, 1937 issued with notification no. 2257/11, dated April 12, 1937 as amended from time to time of clause (6a) and (7) of regulation 11 set out in Column-1 below, the Clause as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:-	Amendment of regulation 11
COLUMN-1 (Existing clause)	COLUMN-2 (Clause as hereby substituted)
11. (6a) In the case of a Chairman or Member who was in the service of the Central Government or a State Government but whom clause (6) does not apply or where clause (6) applies, he has opted for the determination of his pension in accordance with this clause, the pension payable to him shall be—	11. (6a) In the case of a Chairman or Member who was in the service of the Central Government or a State Government but whom clause (6) does not apply or where clause (6) applies, he has opted for the determination of his pension in accordance with this clause, the pension payable to him shall be—
(a) The pension to which he is entitled under the ordinary rules of service and;	(a) The pension to which he is entitled under the ordinary rules of service and;
(b) Subject to the limitations mentioned in clause (2), clause (3) and clause (7) of this regulation, additional pension at the rates mentioned in clause (7):	(b) Subject to the limitations mentioned in clause (2), clause (3) and clause (7) of this regulation, additional pension at the rates mentioned in clause (7):
Provided that in no case the additional pension, referred to in sub-clause (b) together with the pension referred to in sub-clause (a) shall exceed the pension of Rs. 40,000.00 per month (Rs. 4,80,000.00 per annum)	Provided that in no case the additional pension, referred to in sub-clause (b) together with the pension referred to in sub-clause (a) shall exceed the pension of Rs. 1,12,500.00 per month (Rs. 13,50,000.00 per annum)
11. (7) In the case of a Chairman or Member who has not been in the service of the Central or any State Government or had not been granted, or had not qualified for service pension under the rules of the service of which he was a member, the pension to which he shall be entitled shall be as follows:-	11.(7) In the case of a Chairman or Member who has not been in the service of the Central or any State Government or had not been granted, or had not qualified for service pension under the rules of the service of which he was a member, the pension to which he shall be entitled shall be as follows:-
(a) In the case Chairman, Rs. 1,44,000.00 per annum if he has completed 6 years of service;	(a) In the case Chairman, Rs. 3,70,080.00 per annum if he has completed 6 years of service;

COLUMN-1
(Existing clause)

(b) In the case of member other than Chairman, Rs. 1,15,200.00 per annum if he has completed 6 years of service;

(c) if a Chairman or Member has completed 3, 4 or 5 years of service, 3/6, 4/6 or 5/6th respectively of the full pension which is payable to him in accordance with sub-clause (a) or sub-clause (b) above, as the case may be;

(d) In the case of a Chairman who has worked both as Member and Chairman, total period of service as Chairman and as Member, shall be taken into consideration in calculating his pension.

COLUMN-2
(Clause as hereby substituted)

(b) In the case of member other than Chairman,

(i) from Date January 1, 2016 to Date October 25, 2023, Rs. 2,96,064.00 per annum if he has completed 6 years of service;

(ii) from Date October 26, 2023 Rs. 3,34,552.00 per annum if he has completed 6 years of service;

(c) if a Chairman or Member has completed 3, 4 or 5 years of service, 3/6, 4/6 or 5/6th respectively of the full pension which is payable to him in accordance with sub-clause (a) or sub-clause (b) above, as the case may be;

(d) In the case of a Chairman who has worked both as Member and Chairman, total period of service as Chairman and as Member, shall be taken into consideration in calculating his pension.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.